संख्या-5/2024/I/479509/2024/001-71-4099-58-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग कालेज के ऐकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों (फेज-1 के अन्तर्गत) में नर्सिंग कालेज के ऐकेडमिक भवन मानकीकरण से संबंधित प्रायोजना की मानकीकरण की ड्रांइग (ऐकेडमिक भवन के डिजाइन एवं निर्मित क्षेत्रफल) के अनुसार राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग कालेज के ऐकेडमिक भवन के निर्माण कराये जाने एवं मानकीकरण सम्बन्धी आगणन के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति के आगणन के उपरान्त जो अनुमोदित/पुनरीक्षित आगणन होगा, उसे राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग कालेज के निर्माण कार्य हेतु भी अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग कालेज के ऐकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्त व्यय समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2082.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-14-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु 24-वृहत निर्माण कार्य प्रश्नगत कार्य हेतु **प्रथम किश्त** के रूप में **रू० 520.00 लाख (रुपये पांच करोड़ बीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. मानकीकरण का प्रस्तावित आगणन आइसोलेटेड फुटिंग के आधार पर बी-श्रेणी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सहित विस्तृत रूप से गठित किया गया है। निर्माण से पूर्व मृदा परीक्षण के आधार पर फाउण्डेशन का निर्धारण किया जाये।
2. बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज हेतु एकेडमिक भवन निर्माण की लागत रू० 2082.06 को मानकीकृत किया जाता है, परन्तु विचलन की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।
3. प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्यमदों जिनकी लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।
4. प्रायोजना में सम्मिलित कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आना स्वाभाविक है। संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

5. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लेयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदारी संस्था/संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी का होगा।

7. प्रायोजन की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त की निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

8. प्रायोजना आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्वि तथा उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अर्न्तगत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाली संस्था /संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।

11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदारी संस्था/संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।

14. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

15. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

16. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

17. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18. कार्यदायी संस्था को, कार्य की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

19. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

20. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,20,00,000 (रुपये पांच करोड़ बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-165/दस-2023-24 दिनांक-22-09-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्यक) अनुभाग-2
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।